"और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।"

समाज सुधार प्रकाशण श्रंखला 13

अनाथ का पालन-पोषण

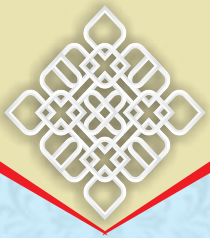

मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

अनाथ का पालन-पोषण

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

पवित्र क़ुरआन में कम से कम 10-11 आयतों में अनाथ का उल्लेख है।

अनाथ इस्लामी परिभाषा में उस नाबालिग बच्चे को कहा जाता है जिसके सिर से बाप का साया उठ गया हो जिसका अर्थ है कि अगर माँ नहीं है लेकिन बाप है तो उसको अनाथ नहीं कहा जाएगा, इसी तरह जवान होने के बाद कोई मर्द या औरत अनाथ नहीं है चूंकि विशेष रूप से बाप अपने बच्चों का जीवन के हर क्षेत्र में सहायक होता है इसलिये बाप के न होने की स्थिति में बच्चा असहाय और हर प्रकार से विवश हो कर रह जाता है चुनांचे क़ुरआन ने जिस तरह जगह-जगह ग़रीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करने का आदेश दिया है उसी तरह एक बेसहारा और विवश होने के आधार पर अनाथ के साथ भी सदाचार और अपनी औलाद की तरह अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है, चुनांचे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, ''मुसलमानों के घरों में उत्तम घर वह है जिसमें कोई अनाथ हो और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता हो, और मुसलमानों के घरों में सबसे ख़राब घर वह है जिसमें कोई अनाथ हो और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो।'' जिसका अर्थ यह होगा कि घर में अपने बच्चों और अनाथ में खाने, कपड़ा पहनने और रहन-सहन में ऐसा तरीक़ा अपनाए जिससे कभी अनाथ के दिल में यह विचार भी न आने पाए कि अगर मेरा बाप होता तो मैं भी यह काम करता और ऐसा कपड़ा पहनता और ऐसी ज़िंदगी गुज़ारता, इसी लिये मजबूर और बेसहारा अनाथ की देखभाल ठीक ढंग से करने वाले के बारे में हज़रत मुहम्मद

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं और वह स्वर्ग में इस प्रकार से निकट रहेंगे जैसे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के निकट हैं।

फिर यह बात ध्यान योग्य है कि पवित्र क़ुरआन में किसी जगह अनाथ के साथ अच्छे व्यवहार के मामले में अनाथ के धर्म से कोई बहस नहीं की गई है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार धर्म पर आधारित नहीं है बल्कि उसकी विवशता और दरिद्रता पर आधारित है, अनाथ चाहे हिंदू है, यहूदी है, ईसाई है या मुस्लिम है, बच्चा है या बच्ची है, ग़रीब है या उनके पास धन है, दुनिया में जो भी उसके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी लेगा और फिर अच्छा व्यवहार करेगा, अपनी औलाद की तरह रखेगा तो वह कल स्वर्ग में अल्लाह के रसूल की निकटता का योग्य होगा।

चुनांचे सूरह-4, आयत-2 में कहा है कि जिन बच्चों के बाप मर जाएं उनके माल उन्ही को पहुंचाओ और (उनकी) अच्छी चीज़ (अपनी) बुरी चीज़ से मत बदलो और अपने माल के रहने तक उनके माल को मत खाओ, अर्थात यह विचार करके कि बड़ा हो कर यह अपने धन की मांग करेगा तो अनाथ के बचपन और अबोध अवस्था में उसकी अच्छी ज़मीन या अच्छे मकान को अपनी ख़राब ज़मीन या मकान से न बदलो और अगर तुम्हारे पास कुछ न रहे तो ईमानदारी से उनकी सेवा करने का हक़ उनके धन से लेना दरुस्त है, अर्थ यह है कि अनाथ का बाप अगर कुछ धन या संपत्ति छोड़कर दुनिया से चला गया और तुम उस अनाथ के ज़िम्मेदार हो पारिवारिक रूप से या सरकार ने तुमको ज़िम्मेदार बना दिया तो तुम पर जिस तरह उस अनाथ की देखभाल अनिवार्य है उसी तरह उसके धन की देखभाल और सुरक्षा भी आवश्यक है, यह नहीं कहा जा सकता कि अनाथ की नासमझी के कारण उसके अच्छे माल या अच्छी ज़मीन को अपने ख़राब माल या ख़राब ज़मीन से बदल लो, अगर तुमको अल्लाह ने दौलत दी है तो तुम अति सावधानी के साथ अनाथों के धन को अनाथों पर ख़र्च करो और अपनी जीविका पर अपना धन ख़र्च करो, तुम्हारा धन तो उन पर ख़र्च हो सकता है लेकिन उनका धन तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी औलाद पर ख़र्च न होना चाहिये, अगर सावधानी न की तो अनाथों का धन तुम्हारा अपने काम में लाना तुम्हारी आख़िरत की बर्बादी का कारण बनेगा।

इसी विषय को कुछ आयतों के बाद आयत नम्बर 10 में बयान किया गया है कि ''जो लोग अनाथों के धन को अकारण खाते हैं वह लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे हीं और शीघ्र ही वह लोग आग (नरक) में जाऐंगे।'' इस आयत में भी धर्म के आधार पर आदेश नहीं है बल्कि क़ुरआन कहता है कि जो लोग अनाथों का धन अकारण खाते हैं वह वास्तव में आग खाते हैं चाहे वह माल मुसलमान अनाथ का है या हिंदू और यहूदी या ईसाई अनाथ का हो, सब का एक ही आदेश है।

इसी तरह ''अनाथ का माल उन्ही को पहूंचाओ'' के सिलसिले में भी क़ुरआन ने बड़ी सावधानी बरती है जिसको दो आयतों के बाद आयत नम्बर 6 में कहा गया है ''अनाथों को परखो यहां तक कि वह व्यस्क हो जाएं तो अगर उनमें बुद्धि देखो तो उनके धन को उनके हवाले कर दो।'' इस आयत से मालूम हुआ कि अनाथों के धन की सुरक्षा की जाएगी ताकि वह बर्बाद न हो जाए। यह अभिभावक की ज़िम्मेदारी है कि अनाथ का बचपन ही से प्रशिक्षण करे, भले-बुरे की समझ उसमें पैदा करे, धन की किस प्रकार से सुरक्षा हो सकेगी उसको बताए, जिस तरह बाप अपनी औलाद में चेतना पैदा करता है, अनाथ का अभिभावक भी इस्लाम में इसका पाबंद है कि अनाथ में इस चेतना को पैदा करे, उसका पोषण करे और जब तक उस पर संतुष्टि और भरोसा न हो जाए उसका धन उसके हवाले न करे और भरोसा हो जाए तो उस समय उसका धन उसके हवाले कर दे, इसके बाद यह व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा।

ध्यान योग्य बात है कि यह सब ज़िम्मेदारियां एक दो दिन में पूरी नहीं होंगी बल्कि अल्लाह यह फ़रमा रहा है कि 15-20 वर्ष तक अभिभावक को हर प्रकार से अपनी औलाद की तरह अनाथ की शिक्षा और पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी पूरी करनी है फिर अनाथ अगर लड़की है तो पोषण के साथ-साथ अपनी बच्ची की तरह अनाथ लड़की के लिये उत्तम वर ढूंढना और विवाह कराना अभिभावक ही की ज़िम्मेदारी है। क़ुरआन कहता है कि अनाथ और मजबूर की सहायता करते हुए हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिये कि अगर कल को तू इस अनाथ के बाप की तरह अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर चला गया तो तेरी औलाद भी इसी तरह दूसरों की दया-दृष्टि की मुहताज हो सकती है इस लिये आज दूसरों के

बेसहारा बच्चों के लिये सहारा बनेगा तो अल्लाह तेरे बेसहारा बच्चों के लिये दूसरों को सहारा बना देगा।

इन सभी आदेशों को बयान करते हुए भी क़ुरआन केवल अनाथ का ज़िक्र कर रहा है, आपको कहीं अनाथ के धर्म की शर्त क़ुरआन में नहीं मिलेगी। इससे मालूम होता है कि इस्लाम और बहुत सी चीज़ों की तरह ग़रीब, बेबस और विवश व्यक्ति की सहायता अपने मानने वालों पर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मानवता और वंचित होने के आधार पर अनिवार्य करता है और जो व्यक्ति अनाथ के इस अधिकार को नहीं मानता और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है वह अल्लाह की यातना का योग्य बनता है, उसी लिये सूरह-89, आयत-17 में क़ुरआन कहता है कि तुम पर अल्लाह की ओर से परीक्षा और मुसीबतों के टूट पड़ने के कारणों में बड़ा कारण यह है कि ''तुम अनाथ का आदर नहीं करते और उनको सम्मान से नहीं रखते'' इसमें वास्तव में बताना तो यह है कि अनाथ के अधिकारों को अदा नहीं करते, उस पर आवश्यक ख़र्च नहीं करते लेकिन ''उनको आदर नहीं देते, सम्मान नहीं करते'' के शब्दों से इस ओर संकेत है कि अल्लाह ने जो तुमको धन दिया है उस पर अल्लाह के शुक्र की मांग केवल यही नहीं है कि तुम अनाथ पर ख़र्च करो और उसका अधिकार देदो बल्कि उसको सम्मान भी दो और अपने बच्चों के मुक़ाबले में उसको तुच्छ और हीन न जानो।

इसी लिये सूरह-93 की आयत-6 मैं फ़रमाया कि ''क्या अल्लाह ने आप (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को अनाथ नहीं पाया फिर आपको ठिकाना दिया?'' अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे कि आपके माता-पिता का निधन हो गया फिर अल्लाह ने आपके दादा से आपका पालन-पोषण कराया, फिर जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आठ वर्ष के हुए तो दादा का भी निधन हो गया तो फिर चचा अबू तालिब ने आपका पालन-पोषण किया। इस आयत में ''आपको ठिकाना दिया'' का अर्थ यही है। चुनांचे दो आयतों के बाद नंबर 9 में क़ुरआन कहता है ''तो आप किसी अनाथ पर सख़्ती न कीजिए'' अर्थात अपनी यतीमी के ज़माने पर ध्यान दीजिए और अपने ऊपर अल्लाह के इनाम पर नज़र डालिये, जिस तरह अल्लाह ने

यतीमी और बेबसी पर आपको ठिकाना और सहारा दिया है, आप भी अनाथों के लिये सहारा बनिए और अनाथ पर डांट-डपट और सख़्ती न कीजिए क्योंकि अनाथ को तकलीफ़ पहूंचाना और उसको नीचा दिखाना मोमिन का काम नहीं है।

इसी को सूरह 107, आयत 1-2 मैं अल्लाह ने फ़रमाया है ''क्या आपने उस व्यक्ति को देखा जो बदले के दिन (क़यामत के दिन) को झुटलाता है? तो यह वही है जो अनाथ को धक्के देता है।'' अर्थात अनाथ जैसे बेसहारा और विवश को अपने दरवाज़े से धक्के देकर निकाल देता है और उसका सहारा नहीं बनता, जबकि उसको अनाथ की सहायता कर के और उसका सम्मान और आदर कर के अपनी दुनिया और आख़िरत को बनाना चाहिये था, यहां भी अल्लाह तआला ने अनाथ के ज़िक्र के साथ उसके धर्म का उल्लेख नहीं किया। धर्म का उल्लेख न करना बता रहा है कि अनाथ कोई भी हो और किसी भी धर्म के परिवार का हो सबका आदेश एक ही है। पवित्र क़ुरआन अपने मानने वालों को हमेशा से हर अनाथ के साथ अच्छे पालन-पोषण और रहन-सहन का आदेश है।

उल्लेखित सभी आयतों में जो चीज़ मिलती है वह यही है कि किसी भी अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार मनुष्य को अल्लाह की दया का पात्र बनाता है और उसकी आख़िरत को आबाद करता है।

हदीस शरीफ़ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेवक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि ''मुसलमानों के घरों में सबसे अच्छा घर वह घर है जिसमें कोई अनाथ हो और उसके साथ (अपनी औलाद की तरह) अच्छा व्यवहार किया जाता हो और मुसलमानों का सबसे ख़राब घर वह है जिसमें कोई अनाथ हो और उसके साथ दर्व्यवहार होता हो और अल्लाह का सबसे अधिक प्रिय वह बंदा है जो अनाथ और विधवा के साथ अच्छा व्यवहार करे। वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो किसी अनाथ बच्चे के पोषण की चिंता करते हुए उसकी हर प्रकार की देखभाल करे और अपनी औलाद की तरह उसकी चिंता को अपने ऊपर ओढ़ ले।'' जो व्यक्ति किसी और के अनाथ बच्चों के साथ चाहे उसका धर्म कुछ भी हो अच्छी नीयत और नि:स्वार्थ भाव से अच्छा

व्यवहार करेगा ख़ुदा से आशा है कि अल्लाह उसके बच्चों के साथ भी दया का मामला फ़रमाएंगे क्योंकि मनुष्य जो बोता है उसी को काटता है।

इसी सिलसिले की एक और घटना हदीस में आती है कि एक व्यक्ति ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा दिल बहुत कठोर है, अर्थ यह है कि न किसी पर दया आती है और न आख़िरत का भय दिल में पैदा होता है और न अपने पापों को याद कर के आँख में आंसू बहते हैं तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि "अनाथ के सिर पर हाथ फेरा करो" अर्थात अनाथ से प्रेम और दया, चाहे वह मुस्लिम हो या ग़ैर मुस्लिम विशेष रूप से मोमिन के दिल में क्रांति लाने वाली और ख़ुदा का डर पैदा करने वाली चीज़ है। इसलिये हर इन्सान को पवित्र क़ुरआन की इन आयतों और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों का सच्चे दिल से पालन कर के अपनी दुनिया और आख़िरत को आबाद करने की चिंता करनी चाहिये।

अनाथ के माल से सम्बंधित कुछ मसले जिनको हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब मरहूम ने 'मआरिफ़ुल क़ुरआन' में ज़िक्र किया है यहां पेश किये जा रहे हैं, उन पर ख़ुद नजर रखनी चाहिये और लोगों को भी बताना चाहिये।

मसला: मृतक के बदन के कपड़े भी विरासत में शामिल होते हैं, कुछ लोग इनको हिसाब में लगाए बिना यूंही दान कर देते हैं। कुछ क्षेत्रों में तांबे और पीतल के बर्तन धन को बांटे बिना फ़क़ीरों को दे देते हैं हालांकि इन सब में नाबालिग़ों और अनुपस्थित वारिसों का भी अधिकार होता है, पहले धन बांट लें जिसमें से मृतक की औलाद, पत्नी, माता–पिता, बहनें जिनको शरीयत के अनुसार हिस्सा पहुंचता हो, उनको देदें, इसके बाद अपनी इच्छा से जो व्यक्ति चाहे मृतक की ओर से दान करे या मिलकर करें तो केवल बालिग़ करें, नाबालिग़ की अनुमति का भी एतबार नहीं और जो वारिस अनुपस्थित हो उनके हिस्से का प्रयोग भी उनकी अनुमति के बिना उचित नहीं।

मसला: मृतक को क़ब्रिस्तान ले जाते समय जो चादर जनाज़े के ऊपर डाली जाती है वह कफ़न में शामिल नहीं है, उसको मृतक के धन से

ख़रीदना जायज़ नहीं क्योंकि वह धन साझा है, कोई व्यक्ति अपनी ओर से ख़र्च कर दे तो जायज़ है, कुछ क्षेत्रों में जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम के लिये कफ़न ही के कपड़े में से मुसल्ला तैयार किया जाता है और फिर यह मुसल्ला इमाम को दे दिया जाता है, यह ख़र्च भी कफ़न की आवश्यकता से अतिरिक्त है, वारिसों के साझे माल में से इसका ख़रीदना जायज़ नहीं।

मसला: कुछ स्थानों पर मृतक को नहलाने के लिये नए बर्तन ख़रीदे जाते हैं, फिर उनको तोड़ दिया जाता है। पहली बात तो यह कि नए बर्तन ख़रीदने की आवश्यकता नहीं क्योंकि घर में मौजूद बर्तनों से गुस्ल दिया जा सकता है और अगर ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाए तो तोड़ना जायज़ नहीं। एक तो इसमें धन की बर्बादी है और फिर उनसे अनाथों और अनुपस्थित वारिसों का अधिकार संबंधित है।

मसला: विरासत की तक़सीम से पहले इसमें से अतिथि-सत्कार और दान-दक्षिणा कुछ जायज़ नहीं, इस प्रकार के दान करने से मृतक को कोई सवाब नहीं पहुंचता बल्कि सवाब समझ कर देना और भी अधिक गंभीर पाप है। इसलिये कि मूरिस (विरासत छोड़ने वाला व्यक्ति) के मरने के बाद अब यह सब माल सभी वारिसों का अधिकार है और उनमें अनाथ भी होते हैं, इस साझे माल में से दान देना ऐसा ही है जैसा किसी का माल चुराकर मृतक की ओर से दान कर दिया जाये। पहले माल तक़सीम कर दिया जाए, उसके बाद अगर वह वारिस अपने माल में से अपनी इच्छा से मृतक की ओर दान करें तो उनको अधिकार है, तक़सीम से पहले भी वारिसों से अनुमति लेकर साझी विरासत में से दान न करें इसलिये कि जो उनमें अनाथ हैं उनकी अनुमति तो विश्वसनीय ही नहीं और जो बालिग़ हैं वह भी ज़रूरी नहीं कि पूरी इच्छा से अनुमति दें, हो सकता है कि वह सम्मान के कारण या लोगों के कटाक्ष के डर से कि अपने मृतक की ओर से दो पैसे तक ख़र्च न किये, अनुमति देने पर विवश हों, इस बदनामी से बचने के लिये न चाहते हुए सहमति देदे हालांकि शरीयत में केवल वह माल हलाल है जिसको देने वाला इच्छा से दे रहा हो, जिसका विवरण पहले गुज़र चुका है।

❑❑